

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक

राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी)

राजस्थान, जयपुर

कार्यालय के फोटो कॉपी कार्य हेतु बोली दस्तावेज
(वर्ष 2023-24)

ए.वी.एस. बिल्डिंग, जवाहर सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर – 302017

दूरभाष :2545831, 2721520 फ़ैक्स : 2721919

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved

1



दस्तावेज सारणी

क्र.सं.	प्रपत्रों की सूची
01	बोली आमंत्रण सूचना
02	बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश
03	बोली डाटाशीट
04	बोली के प्रारूप
05	संविदा की शर्तें
06	संविदा प्रारूप
07	अपील
08	अपील का प्रारूप

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved





CIN: U74999RJ2004SGC019961

Office of RUDSICO, External Aided Project (RUIDP)

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd

Address: AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017

Ph. - 141 2721966 Fax No. 141 2721919,

E-mail:- mail.ruidp@rajasthan.gov.in Website:-https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp

क्रमांक: एफ.1(2)आरयूआईडीपी/पीएमयू/संस्था/फोटोकॉपी/23/ 439 दिनांक: 20/04/2023

बोली आमंत्रण सूचना/2023-24

(01)

आर.यू.आई.डी.पी. के जयपुर स्थित कार्यालय में एक वर्ष के लिए फोटो कॉपी कार्य हेतु (अनुमानित लागत राशि रूपये 4,40,000/-) इच्छुक फर्मो/व्यक्तियों से सील बन्द बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं। बोली शर्तों का अवलोकन कार्यालय की वेबसाईट एवं State Public Procurement Portel <http://SPPP.raj.nic.in> पर किया जा सकता है। बोली दस्तावेज को डाउनलोड किया जा सकता है तथा डाउनलोड दस्तावेज के साथ शुल्क राशि रूपये 200/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

बोली निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएंगी। बोली दस्तावेज 200/- रूपये कार्यालय में नकद जमा कराकर भी प्राप्त किया जा सकेगा। इस राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं किया जावेगा। जो बोलियां विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हें रद्द कर दिया जावेगा। बोली के साथ 8,800.00 रूपये (अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र) की बोली प्रतिभूति बैंक नकद, बैंकर चैक/ड्राफ्ट/ जो कि बोली की मूल कालावधि से तीस दिवस अग्रिम तक विधि मान्य हो, के रूप में जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता को शेष 3 प्रतिशत राशि अनुबंध के समय जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र दिनांक 02.05.2023 को 3:00 बजे प्राप्त कर उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के सम्मुख खोली जायेगी।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा0)

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved

3



बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश

(02)

1. बोली दस्तावेज शुल्क की राशि रुपये 200.00 (अक्षरे दो सौ मात्र) नकद रसीद/बैंक ड्राफ्ट
2. अनुमानित लागत कुल राशि रु. 4,40,000.00
3. बोली प्रतिभूति राशि रुपये 8,800.00 परियोजना निदेशक राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर के पक्ष में देय होगा।
4. दरें कार्यादेश जारी होने के बाद से एक वर्ष तक के लिए मान्य होंगी। पारस्परिक समझौते पर अनुबंध अवधि राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
5. सफल बोलीदाता को 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन राशि आरटीपीपी रूल्स 2013 के अनुसार जमा करानी होगी। उक्त राशि में बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन किया जा सकता है।
6. बोली स्वीकृत कर लिए जाने के बाद यदि बोलीदाता दिए गए समय में कार्यालय में फोटोकॉपी का कार्य नहीं करा पाता है तो उसकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. बोलीदाता अथवा उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को किसी भी रूप में राजकीय सेवा में नियुक्ति पाने के लिये आवेदन अथवा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा (वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 15.04.2011 एवं 29.04.2011)।
8. बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/ हिस्से या सम्पूर्ण कार्य किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।
9. राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना दिनांक एवं बोली सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्तें जो बोली पत्र के साथ संलग्न हैं, उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। हमारी स्वीकृति बतौर हमने शर्तों संबंधी सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
10. प्राप्त बोली में किसी बिन्दु पर जानकारी स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित बोलीदाता को स्पष्टीकरण हेतु लिखा/बुलाया जा सकता है एवं स्पष्टीकरण उपरान्त विभाग किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकृत कर सकता है। जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved

4



बोली डाटा शीट

(03)

(A) फर्म की स्थिति में

1.	फर्म का नाम	
2.	कार्यालय का पता	
3.	दूरभाष एवं मोबाईल नंबर	
4.	ई-मेल	
5.	जयपुर स्थित कार्यालय का पता	
6.	अन्य संलग्न प्रमाण पत्र का विवरण (स्वयं के हस्ताक्षर युक्त)	1. फर्म का रजिस्ट्रेशन / जीएसटीआईएन
		2. कार्य का अनुभव
		3. पैन कार्ड
		4. आधार कार्ड
(B)	व्यक्ति की स्थिति में	
1.	व्यक्ति का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	पता	
4.	ई-मेल	
5.	अन्य संलग्न प्रमाण पत्र	1. कार्य का अनुभव
		2. पैन कार्ड
		3. आधार कार्ड
		4.
		5.
		6.

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved



बोली प्रारूप

(04)

फोटो कॉपी कार्य हेतु हमारी दरें (जीएसटी रहित) निम्नानुसार होंगी :

क्र.सं.	विवरण	साइड	1 वर्ष की अनुमानित मात्रा	फोटो कॉपी की दर प्रति कॉपी	कुल अनुमानित राशि
1.	फोटो कॉपी (ए-4 साइज)	एक तरफ	2 लाख		
		दोनों तरफ	2 हजार		
2.	फोटो कॉपी (ए-3 साइज)	एक तरफ	15 हजार		
		दोनों तरफ	1 हजार		
3.	फोटो कॉपी (लीगल साइज)	एक तरफ	5 हजार		
		दोनों तरफ	10 हजार		
4.	स्पाईरल बाइन्डिंग – 100 पेज तक		250		
5.	स्पाईरल बाइन्डिंग – 300 पेज तक		500		
6.	लेमीनेशन कार्य करना		100		
7.	लेमीनेशन हटाया जाना		100		
8.	स्टेप बाइन्डिंग		50		
योग					

क्र.सं.	विवरण	राशि	राशि जमा कराये जाने का प्रकार	संख्या एवं दिनांक
1	बोली दस्तावेज की शुल्क की राशि	200/-		
2	बोली प्रतिभूति राशि	8,800/-		

L1 firm will be decided on the basis of the total amount which comes out of the rates given by the bidder for all size of pages, binding & lamination.

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील (फर्म की स्थिति में)
पता:-

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved



संविदा की सामान्य एवं विशेष शर्तें

(05)

1. बोली प्रपत्र, (सील बन्द लिफाफे में) जो कि विभाग से जारी किया हुआ हो, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. बोली के सभी प्रपत्र के अनुलग्नक पर बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होने चाहिए।
3. बोली प्रपत्र में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कटिंग हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर अनिवार्य है।
4. बोलीदाता द्वारा बोली विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही दी जाएगी। निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों में किसी प्रकार के संशोधन के साथ दी गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. बोली लगाने वाली फर्म की निम्न जानकारी बोली प्रपत्र के साथ पृथक से संलग्न की जाये:-
 - (1) यदि एकल स्वामित्व की है तो स्वामी का पूर्ण नाम कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 - (2) यदि भागीदारी का है - भागीदारी डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र तथा सभी भागीदारों के पूर्ण नाम एवं पते।
 - (3) यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेटस् तथा सभी डाईरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
6. बोली के साथ फर्म के लाभ के लिए यदि जानबूझकर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं ऐसी बोली को परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर को किसी भी स्तर व समय पर निरस्त करने के अधिकार होंगे।
7. बोली प्रपत्र में अंकित दस्तावेज विभाग के मांगने पर मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।
8. परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा उक्त के कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्व से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।
9. न्यूनतम दरों वाली बोली को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई भी बोलीदाता इस हेतु किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
10. बोली स्वीकार होने की दशा में बोलीदाता को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में करार निष्पादित करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. बोली स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले अनुबन्ध पत्र की शर्तों की पालना के लिए बोलीदाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
12. स्वीकृत बोली के बोलीदाता को कुल कार्य की राशि के अनुसार प्रारंभिक प्रतिकूल भुगतान में जमा करवाना होगा। प्रतिभूति रोकड़, स्थाई जमा रसीद, पोस्ट ऑफिस बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra Agarwal

Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved



13. बोली के साथ बोलीदाता को नियमानुसार बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा तभी बोली स्वीकार की जाएगी।
 - (1) अमानत राशि बोलीदाता को बोली की अस्वीकृति पर बोलीदाता द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर लौटाई जाएगी।
 - (2) बोली स्वीकृत होने की दशा में बोली प्रतिभूति राशि संबंधित बोलीदाता द्वारा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर नियमानुसार लौटाई/समायोजित की जा सकेगी।
14. बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/ हिस्से या सम्पूर्ण कार्य किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।
15. स्वीकृत बोलीदाता उनके कर्मचारियों को होने वाली हानियों, दिए जाने वाले वेतन भत्तों, क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. किसी भी कार्य पर बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जा सकेगा। कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
17. संविदा अवधि में संविदा के दोनों पक्षों बोलीदाता एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर या उनके मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता वार्ता में दोनों पक्ष अपना एक-एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे। मध्यस्थता में दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
18. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित कार्यालय/न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
19. बोलीदाता द्वारा किये गये फोटोकॉपी कार्य का भुगतान मासिक किया जावेगा। माह की समाप्ति पर फर्म/बोलीदाता बिल तीन प्रतियों में परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना जयपुर को प्रस्तुत करेगा।
20. अंकेक्षण के दौरान यदि बोलीदाता के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया निकाली जाती है तो उसकी पूर्ति उसके द्वारा की जावेगी, नहीं किए जाने की दशा में कार्य संपादन प्रतिभूति राशि से समायोजित की जावेगी।
21. बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली सेवाएं परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना जयपुर के अनुसार संतोषजनक होनी चाहिए।
22. यदि बोलीदाता का स्टॉफ परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर या इसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुपयुक्त पाया जाता है तो बोलीदाता द्वारा ऐसे स्टॉफ के स्थान पर अन्य स्टॉफ उपलब्ध कराया जावेगा।
23. स्थानीय नियमों, जिसमें श्रमिक कानून भी सम्मिलित है, की पालना का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
24. परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के निर्देशों के अनुसार बोलीदाता को आवश्यक रिकार्ड संधारित करने होंगे।
25. बोली की आरम्भिक अवधि एक वर्ष की होगी। दोनों पक्षों की सहमति द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
26. सभी शर्तों की पालना बोलीदाता द्वारा की जावेगी, उनके द्वारा यदि किसी शर्त का अर्थ शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

Signature valid
 Digitally signed by Kailash Chandra
 Agarwal
 Designation: Executive Engineer
 Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
 Reason: Approved



27. बोलीकर्ता को बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर बोली को निरस्त करने का अधिकार परियोजना निदेशक राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना जयपुर के पास सुरक्षित होगा।
28. यदि बोलीदाता की कोई शिकायत होगी, तो लिखित रूप से की गई शिकायत ही मान्य होगी। इस विभाग द्वारा जब भी बोलीदाता को बातचीत के बुलाया जायेगा तो उसे उप परियोजना निदेशक(प्रशा0), राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना से उसी दिन मिलना होगा।
29. बोलीदाता के व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
30. बोलीदाता के व्यक्तियों द्वारा यदि विभाग की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो बोलीदाता को स्वयं उस नुकसान की भरपाई करनी होगी।
31. बोली की व्यवस्था अथवा बोली की शर्तों एवं किसी भी अन्य संबंधित मामलों में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जावे तो उस विवाद पर, परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
32. बोली के कार्य का बिल आगामी माह की 10 तारीख तक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
33. बिना बोली प्रतिभूति राशि जमा कराये बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
34. बोली स्वीकृत हो जाने की स्थिति में बोलीदाता 500/- के स्टॉम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबंध पत्र प्रतिपादित / निष्पादित करना होगा जो बोली अवधि के लिय वैध होगा।
35. बोलीदाता को बोली छूटने पर बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी./बैंकर चैक/एफ.डी.आर जयपुर की बैंक शाखा से ही जारी होना चाहिए।
36. बोलीदाता द्वारा सम्पादित किया जाने वाला कार्य परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के अनुसार संतोषजनक होना चाहिए।
37. बोलीदाता द्वारा कार्य परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा चाहे गए अनुसार सम्पादित किया जाना होगा।
38. सभी शर्तों की पालना बोलीदाता द्वारा की जावेगी, उनके द्वारा यदि किसी शर्त या अनेक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुबंध किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
39. बोलीदाता को जो कार्य सम्पादित किया जाना है उनका विवरण संलग्न पत्र में दिया गया है। बोली विवरण पत्र दिये गये सभी कार्य अथवा उनमें से कुछ के लिए स्वीकृत की जा सकती है। यह आवश्यक नहीं कि सभी आइटम्स के लिए एक पार्टी की निविदा स्वीकृत की जाये।
40. दर इकाई में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है।
41. निविदा उन्ही फर्मों द्वारा भरी जानी चाहिए जिनके पास स्वयं की उचित क्षमता की मशीन हो यदि किसी फर्म की स्वयं की मशीने नहीं होगी तो वह बोली रद्द मानी जायेगी। फर्म के नाम जीएसटी (यदि लागू हो तो) का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
42. फोटो कॉपी कार्य सम्पादित किए जाने हेतु बोलीदाता द्वारा प्रमाण (पेपर) प्रयोग में किया जाएगा। प्रयोग में किया जाने वाला कागज (पेपर) अच्छी गुणवत्ता का मानक (ए-4-75GSM, एफएस-75GSM, ए-3-80GSM) का प्रयोग किया जायेगा।
43. घटिया (हल्के) कागज पर सम्पादित किया गया कार्य निरस्त किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation: Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved



44. सम्पादित किया जाने वाला फोटो कॉपी से सम्बन्धित कार्य साफ एवं स्पष्ट होना चाहिये। साफ एवं स्पष्ट फोटो कॉपी कार्य नहीं होने पर उस कार्य को निरस्त कर दिया जावेगा जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता को वहन करना होगा।
45. बोलीदाता बोली स्वीकृत किये जाने पर फोटो कॉपी से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाने हेतु मशीने कार्यालय परिसर में ही स्थापित करनी होगी जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी।
46. फोटो स्टेट मशीन हेतु बिजली एवं स्थान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जो कि निशुल्क होगा।
47. कार्यालय में फोटो कॉपी कार्य कार्यालय समय में किया जाएगा। कार्य अधिक होने पर समय अधिक भी हो सकता है। जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
48. कार्य तुरन्त आवश्यकता के आधार पर सम्पादित किया जावेगा इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिये।
49. मशीन पर कार्य सम्पादित करने वाले मशीनमेन (आपरेटर) का व्यवहार कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति विनम्र एवं मृदु होगा। उसकी ओर से किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिये। यदि स्टाफ द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत की जाती है तो आपरेटर को बदलना होगा।
50. जिस दिन मशीनमेन अनुपस्थित रहता है या फर्म के कारण फोटोकॉपी कार्य सम्पादित नहीं हो पाता है तो फोटोकॉपी कार्य बाजार से करा लिया जावेगा एवं कराये गये कार्य की राशि एवं अनुपस्थिति के लिये राशि रु. 200/- प्रतिदिन अतिरिक्त राशि की कटौती फर्म को किये जाने वाले भुगतान से की जावेगी।
51. परियोजना निदेशक, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को मान्य करे, यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम हो तथा बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को अस्वीकृत (रिजेक्ट) कर सकता है।
52. बोलीदाता अथवा उनके प्रतिनिधियों कि ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की अवाञ्छित गतिविधि के फलस्वरूप उनकी निविदाएं अमान्य कर दी जावेगी।
53. बोली प्रपत्र में भरी गयी दरों के अतिरिक्त दिया गया किसी भी प्रकार के नियम या अन्य शर्तें मान्य नहीं होगी।
54. यदि फर्म के विरुद्ध लिखित में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
55. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान एवं शर्तें बोली पर लागू रहेंगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved

10



संविदा प्रारूप

(06)

यह अनुबन्ध आज दिनांक को प्रथम पक्ष
..... और द्वितीय पक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान
नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के मध्य सम्पादित किया गया। प्रथम पक्ष
द्वारा अनुबन्ध पर फोटोकॉपी का कार्य निम्नलिखित दरों एवं शर्तों के अनुसार द्वितीय
पक्ष को उपलब्ध कराये जावेंगे।

क्र. स.	विवरण	साईज	1 वर्ष की अनुमानित मात्रा	फोटो कॉपी की दर प्रति कॉपी	कुल अनुमानित राशि
1.	फोटो कॉपी (ए-4 साईज)	एक तरफ	2 लाख		
		दोनों तरफ	2 हजार		
2.	फोटो कॉपी (ए-3 साईज)	एक तरफ	15 हजार		
		दोनों तरफ	1 हजार		
3.	फोटो कॉपी (लीगल साईज)	एक तरफ	5 हजार		
		दोनों तरफ	10 हजार		
4.	स्पाईरल बाइन्डिंग – 100 पेज तक		250		
5.	स्पाईरल बाइन्डिंग – 300 पेज तक		500		
6.	लेमीनेशन कार्य करना		100		
7.	लेमीनेशन हटाया जाना		100		
8.	स्टेप बाइन्डिंग		50		
योग					

बोली निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जावेंगी। जो बोली निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हे रद्द किया जा सकता है।

बोली की शर्तें तथा अन्य किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखी/प्राप्त की जा सकती है।

उक्त बोली प्रस्ताव को बिना कारण बताए निरस्त/रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है तथा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जावेगा।

अन्य सभी शर्तें बोली दस्तोवज में अंकितानुसार होंगी जो कि इस अनुबन्ध का भाग है।

संलग्न : बोली दस्तावेज।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

1. साक्षी-प्रथम
2. साक्षी द्वितीय

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

कार्यालयाध्यक्ष
आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर

1. साक्षी-प्रथम
2. साक्षी द्वितीय

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved



अपील
(07)

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के तहत :-

- | | |
|-----------------------|--|
| प्रथम अपील अधिकारी- | सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि |
| द्वितीय अपील अधिकारी- | सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि होंगे। |

2. अपील का प्रारूप :-

1. धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
2. प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
3. प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस :-

- i. प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिये दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- ii. फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved



अपील प्रारूप
(08)

फार्म नंबर-1
(नियम 83)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.....अपील संख्या.....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी).....के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियाँ :
 1. अपीलार्थी का नाम :
 2. कार्यालय का पता, यदि कोई हो :
 3. आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता:
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्रों और दस्तावेजों की संख्या
6. अपील का आधार :

.....
.....
(शपथ पत्र द्वारा समर्थित)

Signature valid

Digitally signed by Kailash Chandra
Agarwal
Designation : Executive Engineer
Date: 2023.04.19 15:47:53 IST
Reason: Approved

